7 JAN 1978

रजिस्ट्री सं० डी०(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17, 1977 (अग्रहायण 26, 1899)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17, 1977 (AGRAHAYANA 26, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	659
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियो, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1699
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमो, आदेशो और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	33
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1335
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयो और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनो को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	3387
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	4249
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	561
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5633
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	997
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	191
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	2305
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियो और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	201

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	659
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1699
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	33
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1335
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3387
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	4249
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	561
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	5633
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	997
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	191
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2305
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	201

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 नवम्बर 1977

सं० 3/1/एस०सी०टी०सी०/77—सर्वश्री चांद राम और कड़िया मुंडा जो कि राज्य मन्त्रियों के रूप में नियुक्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाली अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है।

1. श्री भारत सिंह चौहान
2. श्री राम चरण

यदुवंश सहाय, मुख्य विधायी समिति अधिकारी

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 नवम्बर 1977

सं० 4/2/77/पी० ए० सी०—लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को सर्वश्री शिव नारायण तथा जगदम्बी प्रसाद यादव के स्थान पर, जो राज्य मन्त्री के रूप में नियुक्त किए जाने पर लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं रहे, समिति की 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाली कार्यावधि के शेष काल के लिए उक्त समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है

1. श्री हलीमुद्दीन अहमद
2. श्री विजय कुमार मल्होत्रा।

बी० के० मुखर्जी, संयुक्त सचिव

वित्त मन्त्रालय

(वार्षिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर, 1977

सं० एफ० 2 (19)-एन० एस०/76—राष्ट्रपति ने डाकघर (सावधि जमा) नियम, 1970 में और संशोधन कर एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को डाकघर (सावधि जमा) (पांचवां संशोधन) नियम, 1977 कहा जाएगा,

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. डाकघर (सावधि जमा) नियम, 1970 में मौजूदा नियम 11-ख के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जायेगा, अर्थात् —

11-ख परिपक्व होने की अवधि के बाद दिया जाने वाला ब्याज.— उन मामलों में जहां नियम 9 (1) के अन्तर्गत सावधि जमा की रकमों की वापसी अदायगी देय हो गयी हो परन्तु की न गई हो अथवा उन मामलों में जहां इसके पश्चात ऐसी रकमों की वापसी अदायगी देय हो गई हो परन्तु इसकी अदायगी के लिए दावा पेश न किया गया हो तो ऐसी रकमों पर डाकघर अथवा बैंक के एकल अथवा संयुक्त खातों पर समय-समय पर दी जाने वाली ब्याज की दर से ही साधारण ब्याज दिया जायगा। ऐसे ब्याज की अधिकतम अवधि 24 महीनों तक ही सीमित होगी जिसका हिसाब परिपक्वता की तारीख से लगाया जायगा। अगर एक महीने से कम की अवधि होगी तो उसे छोड़ दिया जाएगा और सावधि जमा खाते के बन्द करवाने के समय ब्याज की इस रकम को एक मुश्त दे दिया जाएगा।

ए० वी० श्रीनिवासन, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 1977

संकल्प

सं० 25-1/77-सी० ए० 2—भारत सरकार ने भारतीय दाल विकास परिषद को 1 सितम्बर, 1977 से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित परिषद् की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

1. अध्यक्ष . भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाने वाला एक गैर-सरकारी व्यक्ति।
2. उपाध्यक्ष . भारत सरकार के कृषि और सिंचाई मन्त्रालय के कृषि विभाग के अपर सचिव।
3. सदस्य—
   (क) संसद सदस्य—संसद के तीन सदस्य (दो लोकसभा से और एक राज्य सभा से) जिन्हें संसदीय कार्य विभाग द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
   (ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि—निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभागों का एक एक प्रतिनिधि जिसे सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किया जाता है।
   1 आंध्र प्रदेश
   2 बिहार
   3 गुजरात
   4 हरियाणा
   5 कर्नाटक
   6 मध्य प्रदेश
   7 महाराष्ट्र
   8 उड़ीसा
   9 पंजाब
   10 राजस्थान
   11 तमिलनाडु
   12 उत्तर प्रदेश
   13 पश्चिम बंगाल
   (ग) केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि
   1 भारत सरकार का कृषि आयुक्त या उनका मनोनीत व्यक्ति
   2 महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद या उनका प्रतिनिधि
   3 योजना आयोग का एक प्रतिनिधि।
   4 खाद्य विभाग का एक प्रतिनिधि।

5 वित्त और सांख्यिकी सलाहकार, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

6 परियोजना समन्वयक (दालें), भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान नई दिल्ली ।

7 वनस्पति रक्षण सलाहकार, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय ।

8 कृषि विपणन सलाहकार, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय ।

9 नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि ।

10 प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ, सपना बिल्डिंग, 54, ईस्ट कैलाश-24

11 कृषि मूल्य आयोग का एक प्रतिनिधि ।

12 वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, कृषि और सिंचाई मन्त्रालय ।

13 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बीज निगम या उनका मनोनीत व्यक्ति

14 संयुक्त आयुक्त (परियोजना) कृषि विभाग

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि निम्नलिखित दाल उत्पादक राज्यों में से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाला उत्पादकों का एक एक प्रतिनिधि :—

1 आन्ध्र प्रदेश

2 बिहार

3 गुजरात

4 हरियाणा

5 कर्नाटक

6 मध्य प्रदेश

7 महाराष्ट्र

8 उड़ीसा

9 पंजाब

10 राजस्थान

11 तमिलनाडु

12 उत्तर प्रदेश

13 पश्चिम बंगाल

(ङ) मजदूरों के प्रतिनिधि—

(क) कारखानों में कार्य करने वाले मजदूर . . . एक ।

(ख) फैक्टरियों में कार्य करने वाले मजदूर . एक ।

(च) ऐसे और व्यक्ति जिन्हें समय समय पर भारत सरकार द्वारा, दालों के विकास में उनके योगदान को ध्यान में रखकर नामजद किया जाए ।

सदस्य—सचिव .

निदेशक,
दाल विकास निदेशालय ।

2 परिषद् सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा उसके कार्य निम्नलिखित होंगे :—

1 दालों के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय समय पर उसकी प्रगति का पुनरीक्षण करना और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना ;

2 दालों के उत्पादन, विपणन तथा दाल उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करना तथा इन मामलों में सरकार को सलाह देना ।

3 देशी तथा विदेशी मंडियों में विभिन्न दालों की मांगों का विचार करना और तदनुसार सरकार को दाल-उत्पादन के कार्यक्रमों में आवश्यक और तदनुसार सरकार को दाल-उत्पादन के कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजन हेतु सुझाव देना,

4 दालों के उत्पादन के बारे में लघु तथा सीमान्त कृषकों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उनकी पूर्ति के लिए उपयुक्त सुझाव देना ।

5 दालों से सम्बद्ध अनुसन्धान एवं विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय के कार्य को सुचारु रूप से चलाने और दालों की क्वालिटी और उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता के बारे में सलाह देना,

6 सरकार को ऐसे अन्य सम्बद्ध विषयों पर सलाह देना जो समय समय पर आवश्यक समझे जाये ।

3 परिषद् को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए तकनीकी उप-समितियां, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां नियुक्त करने और आवश्यकता पड़ने पर विशेष प्रयोजनों के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और विशेष रुचि रखने वालों के प्रतिनिधियों को सदस्य सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

4 परिषद् समय समय पर दाल उगाए जाने वाले क्षेत्रों तथा दालों के व्यापार एवं उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में बैठक करेगी तथा भारत सरकार को अपनी अपनी सिफारिशें देगी ।

5 परिषद् उस समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि भारत सरकार के संकल्प द्वारा उसे समाप्त न कर दिया जाए । परिषद् के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद् के लिए मनोनीत होने की तारीख से 3 वर्ष तक होगा बशर्ते कि भारत सरकार अपने विशेष आदेश द्वारा उसे घटा या बढ़ा न दे ।

6 समय सदस्यों में से नामजद होने वाले सदस्यों की सदस्यता उनके संसद सदस्य न रहने पर समाप्त हो जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सब राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों, योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय प्रधान मन्त्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

ए० दास, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 1977

संकल्प

सं० 6-5/77 एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी०—कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प सं० 7-9/76-एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी०, दिनांक 9-2-77 के क्रम में, जिसके द्वारा लुगदी कागज विकास समिति गठित की गई थी, भारत सरकार ने सुधारू और कारगर ढंग से कार्य करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों / संगठनों को भी उक्त विकास समिति के सदस्यों के रूप में शामिल करने का फैसला किया है । उन्हें उपर्युक्त संकल्प की क्रम सं० 18 के बाद निम्नलिखित रूप से शामिल किया जाएगा :—

19 महावनपाल, असम, गोहाटी . . . सदस्य

20 महावनपाल, कर्नाटक, बंगलौर . . . सदस्य

21. महावनपाल, उड़ीसा, कटक . . . सदस्य

22 महावनपाल, महाराष्ट्र, पुणे । . . . सदस्य

23 इंडियन पेपर मेकर्स एसोसिएशन, रायल एक्सचेंज, 6, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001 का एक प्रतिनिधि . . . . . सदस्य

24. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन, 75-सी, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700016 का एक प्रतिनिधि . . सदस्य

25 तकनीकी विकास महानिदेशालय उद्योग भवन, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि . . . सदस्य

26 (सहायक वन महानिरीक्षक, कृषि विभाग की बजाय)
वन अर्थशास्त्री, कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषि विभाग। सदस्य

समिति के (1) कार्यों (2) कार्य-काल, और (3) मुख्यालय के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

किसी भी संगठन का कोई व्यक्ति/प्रतिनिधि अपना यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता आदि पूर्ववत उसी स्रोत से लेगा, जिस स्रोत से वह अपना वेतन तथा परिलब्धियां प्राप्त करता है।

एस० के० सेठ, वन महानिरीक्षक तथा
पदेन अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1977

सं० 14-22/77-एल० डी० I—राष्ट्रपति पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अध्याय 2 के खण्ड 7 के उप-खण्ड 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री बी० बी० कपूर, उप सचिव (पशुपालन) को 7-10-1977 से आगामी आदेशों तक पशु कल्याण बोर्ड के सचिव के पद पर श्री पी० जी० रामचन्द्रिनी के स्थान पर नियुक्त करते हैं।

सं० 173/76-एल० डी०-I—राष्ट्रपति, केन्द्रीय बैंक आफ इण्डिया के कृषि वित्त विभाग, बम्बई के प्रबन्धक श्री बसन्त कमोटिम बम्बोलकर को आगामी आदेशों तक मध्य प्रदेश डेरी विकास निगम लि०, भोपाल के निदेशक मण्डल में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० एस० सूद, अवर सचिव

ऊर्जा मन्त्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 1977

संकल्प

सं० 23018/6/77-सी० डी० टी०—भारत सरकार कुछ समय से यह विचार कर रही है कि बिजली घरों आदि के लिए जैसी लिंकेज समिति स्थापित की गई है वैसी ही "स्थायी लिंकेज समिति" इस विभाग में भी स्थापित की जाए ताकि इस्पात संयंत्रों और कोककर कोयले के अन्य उपभोक्ताओं को कोककर कोयले की पूर्ति की जांच की जा सके और पूर्ति के उपलब्ध स्रोतों का सर्वाधिक किफायत से प्रयोग किया जा सके। इस अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों की "स्थायी लिंकेज समिति" स्थापित करने का संकल्प लिया जाता है।

अध्यक्ष

1. संयुक्त सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय (कोयला विभाग)

सदस्य

2 इस्पात विभाग का एक प्रतिनिधि

3 भारतीय इस्पात प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि

4 कोल इंडिया लिमिटेड का एक प्रतिनिधि

5 रेल मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि

6 ईस्टर्न कोलफील्ड्स, वेस्टर्न कोलफील्ड्स, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स और भारत कोकिंग कोल लि० में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि

7 टाटा आइरन एण्ड स्टील क० और इंडियन आइरन और स्टील कम्पनी सहित सभी इस्पात संयंत्रों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि

8 कोयला नियंत्रक अथवा उनका प्रतिनिधि।

9 निदेशक, कोयला विभाग—संयोजक

2 इस समिति के निम्नलिखित विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे —

(i) वर्तमान इस्पात संयंत्रों और कोककर कोयले के अन्य उपभोक्ताओं की कोककर कोयले की जरूरतों की निश्चित अवधि पर पुनरीक्षण करना और कोलियरियों और वाशरियों से सर्वपूर्ण समन्वय स्थापित करना।

(ii) निश्चित अवधि पर इस बात की जांच करना कि वाशरियां, कोलियरियों और इस्पात संयंत्रों में पहले ही स्थापित समन्वय का व्यावहारिक पालन भी हो रहा है और ऐसे व्यावहारिक पालन के लिए आवश्यक कार्रवाई का सुझाव देना।

(iii) ऐसे सभी मामलों की जांच करना जो इस्पात संयंत्रों और कोयला उद्योग द्वारा इस समिति के पास उपर्युक्त समन्वय में परिवर्तन, आदि विषयों के बारे में भेजे जाएं।

(4) इस्पात संयंत्रों की जरूरतें पूरी करने के लिए कोककर कोयले की पूर्ति के अन्य स्रोतों की खोज पर विचार करना।

3 इस समिति की बैठकें सामान्यतया तीन महीने में एक बार होनी चाहिए। कोयला विभाग इस समिति को आवश्यक दफ्तरी सहायता पहुंचाएगा।

4 कोयला नियंत्रक, "स्थायी लिंकेज समिति" द्वारा निश्चित निर्देशों सिद्धान्तों और कुल कार्यक्रम के अधीन मासिक आवंटन का काम करते रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मन्त्री के कार्यालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, राज्य सरकारों, प्रबन्ध निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, भारत कोकिंग कोल लि०, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के पास भेजी जाएं।

यह आदेश भी दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० एस० आर० चारी, सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 24th November 1977

No 3/1/SCTC/77—The following Members of Lok Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the unexpired portion of the term of the Committee ending on the 30th April, 1978, *vice* Sarvashri Chand Ram and Karia Munda ceased to be Members of the Committee on their appointment as Ministers of State :

1. Shri Bharat Singh Chowhan

2. Shri Ram Charan

Y. SAHAI,
Chief Legislative Committee Officer

New Delhi-110001, the 24th November 1977

No. 4/2/77/PAC—The following Members of Lok Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the unexpired portion of the term of the Committee ending on the 30th April, 1978, *vice* Sarvashri Sheo Narain and Jagdambi Prasad Yadav ceased to be Members of the Committee on their appointment as Ministers of State .

1 Shri Halimuddin Ahmed

2 Shri Vijay Kumar Malhotra

B. K. MUKHERJEE, Jt. Secy

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 26th November 1977

No. F 2(19)-NS/76.—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, namely :—

1 (1) These rules may be called the Post Office (Time Deposits) (Fifth Amendment) Rules, 1977,

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, for the existing rule 11-B, the following shall be substituted, namely :—

"11-*B Post-maturity interest*—Where repayment of a Time Deposit under Rule 9(1) has become due but has not been made or where such repayment becoming due hereafter is not claimed, simple interest shall, be allowed thereon at the rate admissible from time to time in respect of single or joint account in the Post Office Savings Bank. Such interest shall be limited to a maximum period of 24 months reckoned from the date of maturity, any part of the period which is less than a month being ignored, and shall be paid in lump sum at the time the Time Deposit account is closed."

A. V. SRINIVASAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION,

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 15th November, 1977

RESOLUTION

No. 25-1/77-C A.II.—The Government of India have decided to reconstitute the Indian Pulses Development Council with effect from 1st September, 1977. The reconstituted Council will be composed as follow :—

CHAIRMAN

A non-official to be nominated by the Government of India.

VICE-CHAIRMAN

Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture).

MEMBERS

(A) *MEMBERS OF PARLIAMENT*

Three Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha).

(B) *REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENTS*

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Government.

(1) Andhra Pradesh
(2) Bihar
(3) Gujarat
(4) Haryana
(5) Karnataka
(6) Madhya Pradesh
(7) Maharashtra
(8) Orissa
(9) Punjab
(10) Rajasthan
(11) Tamil Nadu
(12) Uttar Pradesh
(13) West Bengal

(C) *REPRESENTATIVE OF CENTRAL GOVERNMENT*

1. Agriculture Commissioner to the Government of India, Department of Agriculture or his nominee.
2 Director General, Indian Council of Agricultural Research or his nominee.
3 One representative of the Planning Commission.
4 One representative of the Department of Food.
5. Economics & Statistical Adviser, Ministry of Agriculture and Irrigation.
6 Project Coordinator (Pulses) Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.
7. Plant Protection Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation.
8. Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Agriculture & Irrigation.
9. A representative of the Ministry of Civil Supplies & Cooperation
10. Managing Director, National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India, Sapna Building, 54, East Kailash-24
11. One representative of Agricultural Prices Commission.
12. Financial Adviser, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Irrigation.
13. Chairman, National Seeds Corporation or his nominee.
14. Joint Commissioner (Projects) Department of Agriculture.

(D) *REPRESENTATIVES OF GROWERS*

One representative of the Growers of Pulses to be nominated by the respective state Governments from each of the following Pulses growing States :—

(1) Andhra Pradesh
(2) Bihar
(3) Gujarat
(4) Haryana
(5) Karnataka
(6) Madhya Pradesh
(7) Maharashtra
(8) Orissa
(10) Rajasthan
(10) Rajasthan
(11) Tamil Nadu
(12) Uttar Pradesh
(13) West Bengal

(E) *REPRESENTATIVE OF WORKERS*

(a) Workers engaged in farms—One
(b) Workers engaged in factories—One

(F) Such additional persons, as may, from time to time, be nominated by the Government of India keeping in view of their contribution to the development of Pulses.

(IV) *MEMBER-SECRETARY*

The Director,

Directorate of Pulses Development

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions.

(1) To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of Pulses; review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of Pulses;

(2) To consider problems relating to the production marketing of Pulses and remunerative prices to pulses growers and advise Government in these matters;

(3) To consider demands for different Pulses in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary adjustments in Pulses production programmes accordingly.

(4) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of Pulses production and suggest suitable measures for meeting the same,

(5) To facilitate coordination between research and development programmes relating to pulses and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of Pulses,

(6) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time

3 The Council will have the power to set up Technical Sub Committees, Standing Committees and ad-hoc Committees to look into special issues and to coopt members, such as representatives of Agricultural Universities and special interests as and when necessary for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in important centres of production Trade and Industry, in areas in which pulses are grown and will make its recommendations to the Government of India.

5 The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The terms of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date on which they are nominated on the Council unless this period is curtailed extended by a specific order of the Government of India

6 These members of the Council who are nominated from the members of Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be members of Parliament.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, administrations of Union Territories, Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. DAS, Addl. Secy.

New Delhi, the 29th November 1977

RESOLUTION

No. 6-5/77-FRY/FIPC.—In continuation of the Ministry of Agriculture and Irrigation (Deptt of Agriculture) Resolution No. 7-9/76-FRY/FIPC dated 9-2-77 constituting a Development Committee for Pulp and Paper, the Government of India have further decided to include the following individuals/organisations as members of the said Development Committee for the purpose of smooth and effective functioning. Their inclusion will be shown after serial number 18 of the above cited Resolution as indicated below :

19 Chief Conservator of Forests, Assam, Gauhati. Member.

20 Chief Conservator of Forests, Karnataka, Bangalore. Member.

21. Chief Conservator of Forests, Orissa, Cuttack. Member.

22. Chief Conservator of Forests, Maharashtra, Pune. Member.

23. A representative of Indian Paper Makers Association, Royal Exchange, 6-Netaji Subhas Road, Calcutta-700001 Member.

24 A representative of Hindustan Paper Corporation, 75-C Partk Street, Calcutta-700016. Member.

25. A representative of Directorate General of Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi, Member.

26. Forest Economist, Ministry of Agriculture and Irrigation, Department of Agriculture (Instead of Assistant Inspector General of Forests, Department of Agriculture). Convenor.

No addition/alteration is to be made in respect of (1) functions of the Committee, (2) duration of the Committee and (3) headquarters of the Committee.

As usual, an individual/a representative of any organisation will draw his T A./D.A etc. from the same source from which he draws his salary and perquisites.

S. K SETH,
Inspector General of Forests & Ex-Officio Addl Secy.

New Delhi, the 16th November 1977

No. 14-22/77-LD.I.—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) of the Section 7 of Chapter II of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, the President is pleased to appoint Shri B B. Kapur, Deputy Secretary (Animal Husbandry) as Secretary of the Animal Welfare Board vice Shri P. G. Ramrakhiani w.e.f. 7-10-77 and until further orders.

The 23rd November 1977

No. 17-3/76-LD I.—The President is pleased to appoint Shri Vasant Comotim Bambolcar, Manager, Agriculture Finance Department, Central Bank of India, Bombay as Director on the Board of Directors of the Madhya Pradesh Dairy Development Corporation Ltd , Bhopal until further orders.

R. S. SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 19th November 1977

RESOLUTION

No. 23018(6)/77-CDT.—The Government of India have been considering for some time that a Standing Linkage Committee may be set up in this Department on the lines of Linkage Committee for power stations, etc. with a view to examining the coking coal supplies to steel plants and other users of coking coal and to make the most economic use of the available sources of supply. It is hereby resolved to set up a Standing Linkage Committee consisting of the following :

Chairman

1. Joint Secretary, Ministry of Energy (Department of Coal).

Members.

2. A representative of the Department of Steel.

3. A representative of the Steel Authority of India.

4. A representative of Coal India Ltd, Calcutta.

5. A representative of the Ministry of Railways.

6. A representative each from Eastern Coal fields, Western Coal fields, Central Coal fields and Bharat Coking Coal Ltd.

7. A representative of each of the Steel Plants including TISCO and IISCO.

8. Coal Controller or his representative.

9. Director, Department of Coal... . Convenor.

2. The terms of reference of the Committee will be as follows :

(i) To review periodically the coking coal requirements of the existing steel plants and other users of coking coal and establishing rational linkages with collieries and washeries.

(ii) To examine periodically the extent to which the linkages already established between the washeries, collieries and steel plants are being observed and to suggest steps necessary for their proper observance.

(iii) To examine all matters that may be referred to the Committee by steel plants and coal industry regarding change in the linkages, etc.

(iv) To examine establishing new sources for supply of coking coal to steel plants to meet their requirements

3. The Committee should normally meet once in three months The Department of Coal will provide the required secretariat assistance to the Committee.

4. The Coal Controller will continue to draw up the monthly allocation under the guidelines and overall programme decided by the Standing Linkage Committee.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, State Governments, Chairman-cum-Managing Directors of Eastern Coal fields Ltd., Bharat Coking Coal Ltd., Western Coal fields and Central Coal fields Ltd

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India also for general information

K. S. R. CHARI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977